न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2020/00056 (56/2020)

1. सोनापति धर्मपत्नी स्व0 श्री हजारीराम
2. भागीरथ पुत्र हजारीराम
3. रामप्रताप पुत्र हजारीराम (रतनलाल)
4. रामप्रताप पुत्र हजारीराम
5. संतोष पुत्री हजारीराम
6. सरोज पुत्री हजारीराम
7. कमलेश पुत्री हजारीराम

} जाति बावरी निवासी चक 75 आरडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

–अपीलाण्ट

बनाम

1. रामकुमार पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 75 आरडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्टं

विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.03.2020 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर अनवान हजारीराम बनाम सोनापति आदि प्र0 सं0 40/2019

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

श्री लालचन्द वर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री धीर सिंह बराड़ अभिभाषक रेस्पोडेण्ट 1

निर्णय दिनांक:– 15.02.21

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रशासन गांव के [illegible]ियान में चक 75 आरडी तहसील रावतसर के प. नं. 140/391 (1) [illegible] की 1 बीघा 16 बिस्वा व पत्थर नं. 141/391 (12) [illegible] 2 बीघा [illegible] भूमि को स्मॉल पेच में आवंटन करने हेतु प्रार्थना-[illegible] पेश किया। अधीन[illegible]न्यायालय ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:01:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रश्नगत आराजी को दिनांक 10.01.2002 को स्मॉलपेच में आवंटन करने के आदेश पारित किये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील संख्या 33/2002 प्रस्तुत हुई जिसमें प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया गया। जिसके विरूद्ध निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश हुई माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को विधि सम्मत माना व निगरानी को दिनांक 18.03.2014 को खारिज कर दिया। राजस्व मण्डल अजमेर में पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र भी पेश हुआ जो भी खारिज कर दिया गया। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः निर्णय पारित करते हुए पूर्ववर्ती आवंटन आदेश दिनांक 10.01.2002 को अपने वर्तमान अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2020 के द्वारा यथावत रखा, इस आदेश दिनांक 16.03.2020 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के निर्देशों की पालना नहीं की गई। इन निर्देशित बिन्दूओं पर कोई पुनः परीक्षण किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर पुर्व के निर्णय दिनांक 26.07.2002 को यथावत रखा है। पत्थर नम्बर 140/391 व पत्थर नम्बर 141/391 की कुल आराजी 9 बीघा 1 बिस्वा थी तथा समॉल पेच में केवल 5 बीघा सिंचित भूमि ही दी जा सकती है इससे अधिक भूमि होने कारण यह भूमि समॉल पेच में आवंटित नहीं की जा सकती है। एक ही भूमि को समॉल पेच में दो भागों में विभाजित कर आवंटित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध आवंटन किया है। पूर्व के आवंटन के वैद्य करार देकर कतई गलत व अनुचित आवंटन किया है। अपीलाण्ट के पिता हजारीराम प. नं. 140/391 (11) के किला नं. 15 की 1 बीघा व किला नं. 14 की 16 बिस्व कुल 1 बीघा 16 बिस्वा पर काबिज रहे है। इस भूमि पर ढाणी व पशुओं के नोहरे 35 वर्ष से बने हुए हैं। अपीलाण्ट बीपीएल चयनित होने से भूमि को बतौर भूमिहीन आवंटन करवाने के पात्र अपील कोविड के कारण लोकडान होने के कारण समय पर प्रस्तुत नही कर सका। अतः देरी क्षमा की जावे। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2000 पेज 490 आरआरडी 1994 पेज 629 व 259, आरबीजे 2000 पेज 6 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:01:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से कब्जा की रिपोर्ट मंगवाई थी जिसमें प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में रामकुमार पुत्र बृजलाल बिश्नोई के नाम खातेदारी है व अन्य भूमि 141/391 (11) किला नं. 11, 12, 20/2 की 0.746 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड क्षेत्र की भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार रामकुमार पुत्र बृजलाल जाति बिश्नोई के नाम दर्ज है व प. नं. 141/391 (11) किला नं. 15/2 की 0.127 है0 कमांड भूमि सिवाय चक काबिल काश्त के रूप में दर्ज है जिस पर हजारी पुत्र जगमालराम बावरी अवैध अतिक्रमी के रूप में काबिज है तथा रामकुमार के नाम दर्ज खातेदारी भूमि का कब्जा रामकुमार के पास है। प्रश्नगत चक 75 आरडी की 4.5 बीघा भूमि पूर्व में दिनांक 10.01.2002 के द्वारा रामकुमार को आवंटित की गई थी आवंटन आदेश विधि विरूद्ध नहीं है। अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट ने मियाद बाहर अपील पेश की है। देरी का कोई कारण नहीं बताया है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील खारिज की जावे।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का सशपथ खण्डन प्रस्तुत नहीं होने एवं अपील का निस्तारण गुणागवुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

6. जहां तक गुणावगुण पर प्रश्न है। पूर्व में दिनांक 10.01.2002 को स्मॉलपेच में आवंटन करने के आदेश पारित किये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है। जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील संख्या 33/2002 प्रस्तुत हुई जिसमें प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया गया। जिसके विरूद्ध निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश हुई माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को विधि सम्मत माना व निगरानी को दिनांक 18.03.2014 को खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र पेश हुआ जो भी खारिज कर दिया गया। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः निर्णय पारित करते हुए पूर्ववर्ती आवंटन आदेश दिनांक 10.01.2002 को अपने वर्तमान अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2020 के द्वारा यथावत रखा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का आदि से रिपोर्ट प्राप्त की है। तमाम तथ्यों एवं रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि रामकुमार को चक 75 आरडी की 4.5 बीघा भूमि स्मॉल पेच में दिनांक 10.01.2002

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:01:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

के द्वारा आवंटित की गई थी। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में होने के कारण स्मॉल पेच में 5 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया जा सकता है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्गनत भूमि पर हजारीराम पुत्र जगमालराम बावरी अवैध अतिक्रमी है। विचारण न्यायालय ने इस आदेश को विधि सम्मत मानते हुए पूर्व के आदेश के यथावत रखा है। अपीलाण्ट यह स्पष्ट करने में असमर्थ रहा है कि प्रश्नगत आदेश किस दृष्टि से गलत एवं अनुचित है। अतः अपील खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.03.2020 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

15/2/21

(करतार सिंह पूनीया आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:01:11 IST
Reason: SelfAttested